18/4/22

18/4/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। वादी अपील के पक्ष में अधिवक्ता नहीं है। अतः अपील विचार हेतु तहसीलदार कार्यालय में बहस जवाब पर दाखिल करने हेतु पत्रावली बाबत आदेश हेतु दिनांक 20/4/2022 को पेश हो।

20/4/22 पत्रावली पेश हुई। वादी की वर्ष सम्पर्क होने के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली बाबत आदेश हेतु दिनांक 21/4/2022 को पेश हो।

21.4.22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। बहस अपील के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नामान्तरकरण सं. 2390 दिनांक 20.01.2012 ग्राम पंचायत टोडी निर्णय दिनांक 20.01.2012 अपास्त कर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार करने का कथन किया। रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 के वकील ने अपील स्वीकार किये जाने में अपनी अनुमति जताई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ग्राम टोडी के भूमि खसरा 1819/79 रकबा 0.2540 है. में से 0.0042 है. का नामान्तरकरण अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 के नाम तस्दीक करवाना चाहता है। अपीलान्ट ने इसके लिये कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:38:54 IST
Reason: SelfAttested